



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-84/2019
दिनांक : 07.10.2019

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग विरोधी समिति संबंधी विनियम के अनुसरण में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 005/2013/ARC/2017/345 दिनांक : 26.08.2017 को अधिक्रमित करते हुए रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. कुलपति | : अध्यक्ष |
| 2. उप विभागीय अधिकारी/न्यायिक दंडाधिकारी,
वर्धा या उनके प्रतिनिधि | : सदस्य |
| 3. उप पुलिस अधीक्षक या उनके नामित प्रतिनिधि | : सदस्य |
| 4. श्री राजेंद्र मुण्डे, जिला प्रतिनिधि, महाराष्ट्र टाइम्स | : मीडिया सदस्य |
| 5. सौ. संगीता इंगले तिगांवकर, | : गैर सरकारी संगठन सदस्य |
| 6. प्रो. मनोज कुमार, कुलानुशासक | : शैक्षणिक सदस्य |
| 7. श्री धर्मेन्द्र शंभरकर | : शैक्षणिक सदस्य |
| 8. डॉ. विधु खरे दास | : शैक्षणिक सदस्य |
| 9. श्री वैभव उपाध्याय | : वरिष्ठ विद्यार्थी सदस्य |
| 10. सुश्री सुवर्णा भोन्डवे | : नवागन्तुक विद्यार्थी |
| 11. सुश्री जयश्री जयंत सिंह खामरे | : अभिभावक प्रतिनिधि |
| 12. डॉ. शोभा पालीवाल | : सदस्य सचिव |

यह कार्यालयादेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 07/10/19

प्रति (ईमेल द्वारा) : सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली